राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड

70वीं बैठक दिनांक 26 अगस्त, 2019 की कार्य सूची (एजेण्डा)

69वीं बैठक के कार्य बिंदुओं की पुष्टि।

एजेण्डा संख्या - 1 : नीतिगत विषय	**(क)** प्राकृतिक आपदा - राहत उपाय (बाढ़ग्रस्त क्षेत्र) **(ख)** अल्पावधि एवं दीर्घावधि फसल (Short Term & Long Term Crop) **(ग)** पिरुल नीति **(घ)** मॉडल कृषि भूमि पट्टे पर अधिनियम 2016 **(ङ)** कान्ट्रेक्ट फार्मिंग
एजेण्डा संख्या - 2 : वित्तीय समावेशन - बैंकिंग नेटवर्क एवं वित्तीय साक्षरता	**(क)** Villages inadequately covered or uncovered by financial infrastructure on Jan Dhan Darshak GIS App **(ख)** बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट (**Business Correspondent**) **(ख - i)** Business Correspondent Certification - Graded Certification process **(ग)** वी.-सैट की स्थापना **(घ)** वित्तीय साक्षरता कैम्प
एजेण्डा संख्या - 3 : बैंकों द्वारा ऋण वितरण	**(क)** वार्षिक ऋण योजना एवं प्राथमिकता क्षेत्र में ऋण उपलब्धि **(ख)** सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम इकाई (MSME)
एजेण्डा संख्या - 4 : कृषि - अनुषंगी गतिविधियों में ऋण वितरण प्रगति	**(क)** किसान क्रेडिट कार्ड संतृप्त (KCC Saturation) अभियान **(ख)** किसानों की आय दोगुना करने के उद्देश्य से कृषि अनुषंगी गतिविधियों में ऋण वितरण की प्रगति **(ग)** प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना
एजेण्डा संख्या - 5 : ऋण-जमा अनुपात	40% से कम ऋण-जमा अनुपात वाले जिलों पर चर्चा
एजेण्डा संख्या - 6 : गैर-निष्पादित अस्तियाँ (एन.पी.ए.)	सरकार द्वारा प्रायोजित ऋण योजनाओं के अंतर्गत एन.पी.ए. खातों का विवरण तथा वसूली प्रमाण पत्रों के सापेक्ष वसूली की समीक्षा
एजेण्डा संख्या - 7 : कौशल विकास मिशन	ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान की गतिविधियों की समीक्षा
एजेण्डा संख्या - 8 : केंद्र / राज्य सरकार की नीति	**(क)** सरकार द्वारा प्रायोजित ऋण योजनाएं **(ख)** उद्योग नीति, एम.एस.एम.ई., कृषि नीति **(ग)** प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत अल्पसंख्यक समुदाय को ऋण वितरण की प्रगति समीक्षा
एजेण्डा संख्या - 9 : अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य किसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा।	

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड

70वीं बैठक दिनांक 26 अगस्त, 2019 की कार्य सूची (एजेण्डा)

69वीं बैठक के कार्य बिंदुओं की पुष्टि :

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड की 69वीं बैठक दिनांक 14 जून, 2019 के कार्य बिंदुओं पर संबंधित विभागों एवं बैंकों द्वारा की गयी कार्रवाई से एस.एल.बी.सी., उत्तराखंड को अवगत कराया गया है, जिनकी पुष्टि निम्नलिखित उप-समितियों की बैठक में सभी सदस्यों की सहमति से मान ली गयी है।

1. समाज कल्याण बैंकर्स स्थायी समिति बैठक **दिनांक 09 अगस्त, 2019**
2. ग्राम्य विकास बैंकर्स स्थायी समिति बैठक **दिनांक 09 अगस्त, 2019**
3. बैंकरहित क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन **(Financial Inclusion)** हेतु गठित राज्य स्तरीय उप-समिति की बैठक **दिनांक 13 अगस्त, 2019**
4. अवस्थापना विकास बैंकर्स स्थायी समिति बैठक **दिनांक 14 अगस्त, 2019**

एजेण्डा संख्या - 1 नीतिगत विषय :

(क) प्राकृतिक आपदा - राहत उपाय (बाढ़ग्रस्त क्षेत्र) :

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या 2/6/2011-**FI (C-47940)** दिनांक 14 अगस्त, 2019**,** जिसमें गुजरात एवं उत्तराखंड राज्यों के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत उपाय प्रदान करने से संबंधित है। इस संदर्भ में भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र संख्या **FIDD CO FSD-BCNo.9/02.10.001/2018-19** दिनांक 17 अक्टूबर, 2018, जो कि सभी आपदाग्रस्त वाणिज्यिक बैंकों, लघु वित्त बैंक और ग्रामीण बैंकों को संबोधित किया गया है, जिसमें प्राकृतिक आपदा से प्रभावित क्षेत्रों में बैंकों द्वारा घोषित किए गए राहत उपाय वर्णित हैं। इस संबंध में उत्तराखंड शासन द्वारा यदि कोई जिला / क्षेत्र प्राकृतिक आपदा से ग्रस्त घोषित किए गए हैं, तो उसकी सूचना राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड को प्रदान कराने की व्यवस्था करेंगे, ताकि इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के उपरोक्त निर्देशों के आलोक में सभी बैंक ऋण खातों में वांछित राहत प्रदान कर सके।

(ख) अल्पावधि एवं दीर्धावधि फसलों का निर्धारण (Short Term & Long Term Crop) :

भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र संख्या RBI/2004/264 दिनांक 24 जून, 2004 के अनुक्रम में प्रत्येक राज्य की अल्पावधि एवं दीर्धावधि फसल का निर्धारण / अनुमोदन राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के स्तर पर किया जाना है, जिसके अनुरुप कृषि ऋण (फसलों) का क्रॉप सीजन (बुआई / कटाई) निश्चित किये जाने के आधार पर गैर निष्पादित आस्तियों (NPA) का निर्धारण बैंकों के स्तर पर किया जाना है। इस विषयक सूचना कृषि विभाग से प्राप्त होने पर सदन से अनुमोदन किया जाना अपेक्षित है।

(ग) पिरुल नीति :

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड की 69वीं बैठक दिनांक 14 जून, 2019 में दिए गए निर्देशानुसार पिरुल नीति के अंतर्गत वित्तपोषण किए जाने हेतु राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड द्वारा भारतीय स्टेट बैंक, प्रशासनिक कार्यालय, सभागार कक्ष, देहरादून में दिनांक 02 जुलाई, 2019 को बैठक आयोजित की गयी थी। इस बैठक में अपर सचिव (ऊर्जा), उत्तराखंड शासन, मुख्य परियोजना अधिकारी, उरेडा, संयुक्त निदेशक, उद्योग विभाग

तथा प्रदेश के 19 बैंकों द्वारा प्रतिभाग किया गया। बैठक में विचार-विमर्श के पश्चात सभी बैंकों द्वारा सहमति व्यक्त की गयी कि वे अपने निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित नीतियों के अनुरूप उद्यमियों को आर्थिक व्यवहार्यता के आधार पर वित्तपोषित करते हुए **CGTMSE** (उत्तराखंड ग्रामीण बैंक तथा सहकारी बैंक को छोड़कर) द्वारा कवर करेंगे, जिसके लिए उद्यमी द्वारा प्रतिवर्ष **CGTMSE** की फीस देय होगी।

उद्योग विभाग द्वारा स्पष्ट किया गया है कि उक्त योजना के अंतर्गत राज्य उपादान सहायता एम.एस.एम.ई. 2015 के अनुरुप उद्यमी द्वारा इकाई लगाने के पश्चात प्रायोजक विभाग द्वारा अनुमोदन के पश्चात नियमों व शर्तों के अनुरुप दी जाएगी। अत: ऋण स्वीकृति के समय उद्यमी द्वारा **Promoter Contribution (Margin)** की व्यवस्था स्वयं की जानी अपेक्षित होगी।

(घ) <u>मॉडल कृषि भूमि पट्टे पर अधिनियम 2016 (Model Agriculture Land leasing Act)</u> :

उत्तराखंड जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक 2016 में केंद्र सरकार के मॉडल भूमि पर अधिनियम ड्राफ्ट में निर्दिष्ट बिंदुओं को समाहित किए जाने संबंधी अभिस्वीकृति राजस्व विभाग द्वारा राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड को उपलब्ध करायी जानी थी। उक्त विषयक के अनुक्रम में अपर सचिव, उत्तराखंड शासन द्वारा पत्र संख्या 1233/**XVIII(1)/2019-07(37)/2015** दिनांक 20 अगस्त, 2019 के माध्यम से अवगत कराया है कि उत्तराखंड जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2016 में केंद्र सरकार के मॉडल भूमि पट्टे पर अधिनियम, 2016 में निर्दिष्ट बिंदुओं को ड्राफ्ट **(Land Leasing)** के अनुरुप समाहित करने हेतु नीति आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली की रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है। उक्त के अतिरिक्त राजस्व विभाग के अंतर्गत राजस्व संहिता का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें लीज संबंधी सुसंगत नियमों / विनियमों का पालन किया जाना प्रस्तावित है।

(ङ) <u>कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग (Contract Farming)</u> :

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड की 69वीं बैठक दिनांक 14 जून, 2019 में कान्ट्रैक्ट फार्मिंग के विषय में कृषि विभाग को निर्देशित किया गया था कि राज्य के परिप्रेक्ष्य में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग विषयक संबंधित नियम एवं अधिनियम कृषि विभाग द्वारा मण्डी समिति से प्राप्त कर राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड को उपलब्ध कराया जाना प्रतीक्षित है। उक्त विषयक राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड द्वारा संयुक्त निदेशक, कृषि निदेशालय को पत्र संख्या प्रशा.का./एस.एल.बी.सी./266 दिनांक 24 जुलाई, 2019 के माध्यम से अनुरोध किया गया था।

दिनांक 09 अगस्त, 2019 को ग्राम्य विकास बैंकर्स स्थायी समिति की बैठक में अध्यक्ष महोदया, प्रमुख सचिव (ग्राम्य विकास), उत्तराखंड शासन द्वारा अपर सचिव (कृषि), उत्तराखंड शासन को निर्देशित किया गया था कि वे इस विषय में स्थिति राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड को स्पष्ट करेंगे। अपर सचिव (कृषि) द्वारा इस विषयक फाईल का संज्ञान लेने पर यह ज्ञात हुआ है कि कॉन्ट्रैक्ट फर्मिंग एक्ट वर्ष 2018 के प्रावधानों के अनुरुप नीति राज्य में वर्तमान में निर्धारित नहीं हो पायी है।

एजेण्डा संख्या - 2 <u>वित्तीय समावेशन - बैंकिंग नेटवर्क एवं वित्तीय साक्षरता</u> :

(क) <u>Villages inadequately covered or uncovered by financial infrastructure on Jan Dhan Darshak GIS App</u> :

वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा NIC के सहयोग से GIS Portal पर uploaded गाँव, जिनमें 05 किलोमीटर की परिधि में बैंकिंग की आधारभूत सुविधा (Branch / BC / India Post Payment Bank) उपलब्ध नहीं है, की सूची तैयार की गयी थी। उत्तराखंड में ऐसे 124 गाँवों की सूची राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड को परीक्षण हेतु प्रेषित की गयी थी, जिसका परीक्षण अग्रणी जिला प्रबंधक स्तर पर कराया गया है। परीक्षण के अनुसार 124 गांव में से 12 गांव बैंकिंग सुविधाओं रहित पाए गए हैं।

शेष बचे 12 गाँव 03 क्लस्टरों के आधार पर भारतीय स्टेट बैंक, उत्तराखंड ग्रामीण बैंक एवं पंजाब नेशनल बैंक को आबंटित कर निर्देशित किया गया है कि वे संबंधित गाँव का सर्वे करते हुए बी.सी. के माध्यम से बैंकिंग सुविधाएं 31 अगस्त, 2019 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। शेष 12 गाँवों का विवरण निम्न है :

क्र.सं.	बैंक	क्लस्टर	गाँव
1.	भारतीय स्टेट बैंक	बुरफू	मीलम, बिल्जु, बुरफू, तोला एवं किल्च
2.	उत्तराखंड ग्रामीण बैंक	पांचु	पांचु, गंगर, मापा, मारतोली, लासपा एवं लवा
3.	पंजाब नेशनल बैंक	पंचायत घर बुई	रलम

वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 13 अगस्त, 2019 को वीडियो कॉन्फ्रेंस में यह भी निर्देशित किया गया है कि उपरोक्त गाँव में Seasonal Migration होने की स्थिति में (4 से 5 महीने के आवास) निर्णय संबंधित जिलाधिकारी के निर्देशानुसार लेते हुए उन्हें अवगत कराया जाए।

<u>(ख) बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट (Business Correspondent)</u> :

भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के आलोक में वर्ष 2012 में 2000 से कम की आबादी वाले गाँवों में बैंकिंग सुविधा प्रदान करने के लिए **3 - 4 किलोमीटर** की परधि में बैंकों को 2149 क्लस्टर / एस.एस.ए. आबंटित किए गए थे, जिसमें तत्कालीन निर्णय के अनुरुप पोस्ट ऑफिस को बी.सी. आबंटन के लिए बैंकिंग सुविधा के दायरे से बाहर माना गया था। वर्तमान में गाँवों में बैंकिंग सुविधा प्रदान करने के लिए **5 किलोमीटर** की परिधि का आधार लागू है। वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के उपरोक्त पैरा - 2 (क) में निर्दिष्ट निर्देशों के अनुक्रम में अग्रणी जिला कार्यालयों एवं राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड के स्तर पर Google Satelite Information के माध्यम से सर्वेक्षण में पाया गया है कि पाँच किलोमीटर की परिधि के अंतर्गत बैंकिंग सुविधाओं से uncovered गाँवों में लम्बित एस.एस.ए. वर्तमान में **140 एस.एस.ए.** बैंकिंग सुविधाओं से संतृप्त पाए गए हैं।

अद्यतन सूचना के आधार पर बैंकों द्वारा लम्बित एस.एस.ए. में से जून, 2019 त्रैमास में **114** एस.एस.ए. में इण्डियन पोस्ट पेमेंट बैंक कार्यरत होना सूचित किया गया है। अत: वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार **114** एस.एस.ए. को बैंकिंग संरचना से संतृप्त पाया गया है। दिनांक 13 अगस्त को आयोजित बैंक रहित क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन हेतु गठित उप-समिति की बैठक में विस्तृत चर्चा करते हुए अध्यक्ष महोदय द्वारा अनुमोदित किया गया है।

Status of pending SSAs in Uttarakhand of appointment of BC/CSP

Pending as on 31.03.2019	340
Covered by BC/CSP/Banks from 01.04.2019 (5 km radius)	-140
Covered through Indian Post Payment Bank as per DFS instructions vide VC dated 26.07.2019 (mentioned in minutes received on 07.08.2019)	-114
Remaining SSAs	**86**

शेष **86** एस.एस.ए. में कार्यवाही लम्बित / प्रक्रियाधीन है, जिसका विवरण निम्नवत है :

Pending Status	**SBI**	**PNB**	**BOB**	**P & S Bank**	**BOI**	**Nainital Bank**
	68 Dehradun Module - 05 Haldwani Module - 63	**08**	**05**	**01**	**01**	**03**

मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड की 69वीं बैठक में बीमा सेक्टर में कार्यरत एजेण्टस को भी बी.सी. / सी.एस.पी. की नियुक्ति करने का सुझाव दिया गया था। इस संबंध में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें बी.सी. को मिलने वाले मानदेय की सूचना मांगी गयी थी, जिसका प्रत्युत्तर भारतीय जीवन बीमा निगम को प्रेषित किया जा चुका है।

उक्त संबंध में यह भी अवगत कराना है कि अभी कुछ और स्थानों पर भी इण्डियन पोस्ट पेमेंट बैंकों का roll out होना अपेक्षित है तथा जिनके roll out के उपरांत संबंधित लम्बित SSAs को update किया जायेगा व शेष SSAs में बी. सी. लगाने की प्रक्रिया जारी रहेगी।

(ख - i) <u>Business Correspondent Certification - Graded Certification process</u> :

इण्डियन बैंकस एसोसिएशन (आई.बी.ए.) के पत्र संख्या SB/Cir/FI-BC/2019-20/7551 दिनांक 05 जुलाई, 2019 के संदर्भ में भारतीय रिजर्व बैंक, उत्तराखंड क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा अवगत कराया गया है कि सभी बैंक नए नियुक्त किए जाने वाले बी.सी. तथा वर्तमान में कार्यरत बी.सी. को B.C. Certification कोर्स परिपत्र में वर्णित निश्चित समय सीमा में करवाना सुनिश्चित करेंगे, जिसकी सूचना राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड द्वारा सभी बैंकों को पूर्व में उपलब्ध करवा दी गयी है।

(ग) <u>वी.-सैट की स्थापना</u> :

कनेक्टिविटी रहित **1181 SSAs** में से वित्तीय वर्ष 2019-20 के प्रथम त्रैमास (जून, 2019) की समाप्ति तक **569** वी.-सैट लगाए गए हैं तथा **584** स्थानों पर वैकल्पिक कनेक्टिविटी होना अवगत कराया गया है। पिछले त्रैमास में वी.-सैट लगाने हेतु **39** लम्बित स्थानों के सापेक्ष वर्तमान में **19** स्थानों पर, वी.सैट / वैकल्पिक कनेक्टिविटी एवं इण्डिया पोस्ट पेमेंट बैंक के माध्यम से, बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराने की प्रगति रिपोर्ट की गयी है।

वी.-सैट स्थापित किए जाने वाले अवशेष **20** SSAs की स्थिति निम्नवत है :

Bank	**Pending Status as on 31.03.2019**	**Pending Status as on 30.06.2019**
SBI	**34** Dehradun Module - 06 Haldwani Module - 28	**18** Dehradun Module - 05 Haldwani Module - 13
BOB	**02**	**02**
Union Bank	**01**	**-**
Bank of India	**02**	**-**

(घ) <u>वित्तीय साक्षरता कैम्प</u> :

वित्तीय साक्षरता कैम्प के माध्यम से डी.बी.टी., डे-एन.आर.एल.एम., सामाजिक सुरक्षा, धोखाधड़ी से बचाव के संदर्भ में जनसाधारण को जागरुक करने का कार्य अग्रणी जिला प्रबंधकों, ग्रामीण शाखाओं, वित्तीय साक्षरता केंद्रों, राज्य के 13 आरसेटी संस्थानों तथा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन केंद्रों द्वारा व्यापक प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। नाबार्ड द्वारा प्रत्येक एफ.एल.सी. कैम्प के लिए प्रति कैम्प अधिकतम **₹ 5000/-** की प्रतिपूर्ति का प्रावधान है। नाबार्ड द्वारा अवगत कराया गया है कि उत्तराखंड ग्रामीण बैंक तथा सहकारी बैंक के अतिरिक्त अन्य बैंकों द्वारा कैम्प के आयोजन हेतु किए गए व्यय के लिए प्रतिपूर्ति दावा प्रस्तुत नहीं किया गया जा रहा है।

वित्तीय वर्ष 2019-20 के प्रथम त्रैमास (जून, 2019) की समाप्ति पर बैंकों एवं वित्तीय साक्षरता केंद्रों द्वारा आयोजित वित्तीय साक्षरता शिविरों की प्रगति निम्नवत है **:**

त्रैमास	**जनसाधारण हेतु कैम्प की संख्या**	**एस.एच.जी. हेतु कैम्प की संख्या**	**कुल कैम्प की संख्या**
अप्रैल-जून, 2019	1487	874	2361

एजेण्डा संख्या - 3 <u>बैंकों द्वारा ऋण वितरण</u>

(क) <u>वार्षिक ऋण योजना एवं प्राथमिकता क्षेत्र में ऋण उपलब्धि</u> : **" SLBC - 3 "**

वार्षिक ऋण योजना 2019-20 हेतु निर्धारित वार्षिक लक्ष्य **₹ 22011.28 करोड़** के सापेक्ष जून, 2019 त्रैमास तक बैंकों द्वारा **₹ 6391.62 करोड़** की प्रगति दर्ज की गयी है, जो कि लक्ष्य का प्रथम त्रैमास हेतु निर्धारित मानक **15%** के सापेक्ष **29%** है।

(₹ करोड़ों में)

मद	वार्षिक लक्ष्य 2019-20	उपलब्धि	उपलब्धि प्रतिशत
फसली ऋण	6806.40	1372.11	20%
सावधि ऋण	3578.65	940.83	26%
फार्म सेक्टर (कुल)	**10385.05**	**2312.95**	**22%**
नॉन-फार्म सेक्टर	8031.49	3547.13	44%
अन्य प्राथमिक क्षेत्र	3594.74	531.54	15%
कुल योग	**22011.28**	**6391.62**	**29%**

(ख) <u>सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम इकाई (MSME)</u> **" SLBC - 27 "**

वार्षिक लक्ष्य **₹ 8031 करोड़** के सापेक्ष **₹ 3547 करोड़** की प्रगति दर्ज किया जाना रिपोर्ट किया गया है, जो लक्ष्य का **44%** है। एम.एस.एम.ई. सेक्टर में इकाइयों को सेक्टरवार कुल वितरित ऋणों की **outstanding** निम्नवत है :

(कुल प्रदत्त राशि, ₹ करोड़ में)

सूक्ष्म इकाई		लघु इकाई		मध्यम इकाई		कुल ऋण राशि		कुल योग
विनिर्माण क्षेत्र	सेवा क्षेत्र	विनिर्माण क्षेत्र	सेवा क्षेत्र	विनिर्माण क्षेत्र	सेवा क्षेत्र	विनिर्माण क्षेत्र	सेवा क्षेत्र	एम.एस.एम.ई.
1690	3832	2534	5746	1122	1046	5346	10624	15970

एजेण्डा संख्या - 4 :

(क) <u>किसान क्रेडिट कार्ड संतृप्त (KCC Saturation) अभियान</u> : **" SLBC - 5 "**

वित्तीय सेवायें विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार के.सी.सी. से अलाभान्वित कृषकों को के.सी.सी. से संतृप्त करने के लिए एक अभियान दिनांक 15.08.2019 से 45 दिन के लिए राज्य के समस्त जिलों में शुरु किया गया है, जिसमें अग्रणी जिला प्रबंधक एवं जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन में सभी रेखीय विभागों (कृषि विभाग, उद्यान विभाग एवं पशुपालन विभाग) का सक्रिय सहयोग प्राप्त करेंगे। शाखाएं गाँव में कैम्प लगाएंगी तथा रेखीय विभाग के अधिकारी कृषकों से ऋण आवेदन पत्र **source** करने में आवश्यक सहयोग करेंगे।

ऐसे सभी कृषक जो कृषि के साथ पशुपालन एवं मत्स्य पालन से जुड़ी गतिविधियों में संलिप्त हैं, उन्हें **₹ 3.00 लाख** तक की कुल सीमा के भीतर एक अतिरिक्त **₹ 1.00 लाख** की उप-सीमा का किसान क्रेडिट कार्ड जारी किया जाना है। इस पर **Interest Subvention / Prompt Repayment Incentive** भी लागू होगा। वे कृषक जो पशुपालन एवं मत्स्य पालन से संबंधित गतिविधियों में शामिल हैं, लेकिन कोई किसान क्रेडिट कार्ड नहीं रखते हैं, उन्हें

₹ 2.00 लाख की क्रेडिट सीमा के साथ एक नया के.सी.सी. प्राप्त करने के पात्र होंगे, जिस पर **Interest Subvention / Prompt Repayment Incentive** भी लागू होगा। सभी वित्तीय साक्षरता केन्द्र एंव बैंक शाखायें अपने कैम्पों में इस विषयक जागरूकता प्रदान करें।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संपार्श्विक प्रतिभूति रहित कृषि ऋण की सीमा को **₹ 1.00 लाख** से बढ़ाकर **₹ 1.60 लाख** कर दिया गया है।

वित्तीय वर्ष 2019-20 के प्रथम त्रैमास में किसान क्रेडिट कार्ड की प्रगति निम्नवत है **:**

(₹ करोड़ों में)

वर्ष 2019-20 के.सी.सी. लक्ष्य (Renewal & New)	**01.04.2018 से 30.06.2019 तक जारी कार्ड (नये एवं नवीनीकृत)**	**01.04.2018 से 30.06.2019 तक जारी नये के.सी.सी.**	**लक्ष्य प्राप्ति का %**	**कुल जारी किए गए कार्ड की संख्या**	**30.06.2019 तक वितरित ऋण की outstanding**
1,00,000	1,33,843	13941	**134%**	5,76,539	6708.85

(ख) किसानों की आय दोगुना करने के उद्देश्य से कृषि - अनुषंगी गतिविधियों में ऋण वितरण की प्रगति

"SLBC - 47"

कृषि क्षेत्र की अनुषंगी गतिविधियों **(Allied Activities)** के अंतर्गत फूड एवं एग्रो प्रोसेसिंग, प्लांन्टेशन एवं बागवानी, डेयरी, मुर्गी पालन, बकरी एवं भेड़ पालन, मत्स्य पालन आदि में वित्तीय वर्ष 2019-20 के प्रथम त्रैमास (जून, 2019) में बैंकों द्वारा ऋण वितरण की स्थिति निम्नवत है :

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	**मद**	**कृषि क्षेत्र की अनुषंगी गतिविधियों हेतु वितरित ऋण खातों की संख्या**	**कृषि क्षेत्र की अनुषंगी गतिविधियों हेतु वितरित ऋण राशि**
1.	डेयरी	3363	132.80
2.	मुर्गी पालन	267	11.68
3.	भेड़ / बकरी / सुअर पालन	1020	9.71
4.	प्लांन्टेशन एवं बागवानी	237	9.28
5.	मत्स्य पालन	157	4.31
6.	फूड एवं एग्रो प्रोसेसिंग	304	64.33
7.	स्टोरेज गोदाम	300	12.51
8.	जल संसाधन	194	9.61
9.	भूमि विकास	280	10.92
10.	कृषि यंत्रिकरण	865	18.55
11.	अन्य (कृषि संबंधित क्रियाकलाप)	*26274	657.12
कुल योग		**33261**	**940.82**

* बैंकों से प्रदत्त सूचना के अनुरुप अन्य कृषि संबंधित क्रियाकलाप के अंतर्गत एग्री गोल्ड लोन, कृषि क्षेत्र के अंतर्गत कृषकों को वितरित गृह ऋण, माइक्रो फाइनेंस, ज्वाइंट लाइबलिटी ग्रुप, ट्रेक्टर ऋण व बैंकों द्वारा कृषि क्षेत्र की विभिन्न अनुषंगी गतिविधियों हेतु बनायी गयी ऋण योजनाओं में दिए गए ऋण शामिल हैं।

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड की 69वीं बैठक दिनांक 14 जून, 2019 में दिए गए निर्देशों के अनुक्रम में कृषि विभाग, उद्यान विभाग एवं पशुपालन विभाग द्वारा कृषि क्षेत्र में ऋण प्रवाह को गति प्रदान करने हेतु कार्ययोजना तैयार की जानी अभी प्रतीक्षित है।

इस विषयक दिनांक 09 अगस्त, 2019 को आयोजित ग्राम्य विकास बैंकर्स स्थायी समिति की बैठक में अध्यक्ष महोदया द्वारा नाबार्ड को निर्देशित किया गया है कि वे किसानों की आय दोगुना करने के उद्देश्य से समुचित कार्ययोजना बनाने हेतु कृषि विभाग, उद्यान विभाग एवं पशुपालन विभाग का सहयोग करने हेतु एक कार्यशाला का शीघ्रातिशीघ्र आयोजन करने की व्यवस्था करें।

संबंधित तीनों विभाग कृषि क्षेत्र में ऋण प्रवाह को गति प्रदान करने हेतु **bankable** विस्तृत कार्ययोजना बनाकर माह अगस्त, 2019 तक ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखंड शासन को उपलब्ध कराएंगे, जिस पर मुख्य सचिव स्तर पर माह सितम्बर, 2019 के प्रथम सप्ताह में **PPT** के माध्यम से प्रस्तुतीकरण किया जाएगा।

किसानों की आय वर्ष 2022 तक दोगुना करने की दिशा में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निम्न रणनीति / कार्ययोजना तैयार की गयी है :

(क) "प्रति बूँद अधिक फसल" के उद्देश्य से सिंचाई को महत्व देना।
(ख) प्रत्येक क्षेत्र की मिट्टी की प्रकृति के अनुरुप गुणवत्ता वाले बीज और पोषक तत्वों का प्रावधान।
(ग) फसल की कटाई के बाद के नुकसान को रोकने के लिए Warehousing and Cold Chains में निवेश।
(घ) खाद्य प्रसंस्करण के माध्यम से मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देना।
(ङ) नेशनल फार्म मार्केट सृजित करना, विकृतियों को दूर करना तथा बुनियादी सुविधाओं जैसे ई-प्लेटफार्म को विकसित करना।
(च) सस्ती लागत पर जोखिम को कम करने के लिए फसल बीमा योजना को मजबूत करना।
छ) मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन और मत्स्य पालन आदि सहायक गतिविधियों को बढ़ावा देना।

उपरोक्त में से **(ग), (घ), (च)** एवं **(छ)** बिंदुओं पर बैंकों द्वारा अपने स्तर से कार्य किया जा रहा है तथा बिंदु **(क), (ख)** एवं **(ङ)** राज्य सरकार के विभागों के स्तर पर किए जाने योग्य है।

(ग) <u>प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना</u> : **"SLBC - 22 & 23"**

फसल बीमा योजना एवं मौसम आधारित फसल बीमा योजना के अंतर्गत की गयी प्रगति का वितरण निम्नवत है :

(₹ लाखों में)

योजना	अधिसूचित बीमित फसली ऋण की राशि	बीमित कृषकों की संख्या	प्राप्त प्रीमियम राशि
PMFBY	26023.24	52794	427.31
RWBCIS	18998.26	41063	947.32
Total	**45021.50**	**93857**	**1374.63**

(ग्राम्य विकास बैंकर्स स्थायी समिति की बैठक दिनांक 09 अगस्त, 2019 में विभाग द्वारा अद्यतन आँकड़े प्रस्तुत किए गए हैं।)

संबंधित विभाग द्वारा सूचित किया गया है कि जून, 2019 त्रैमास में किसी भी प्रकार का क्लेम वितरित नहीं किया गया है। इस संबंध में विभाग के प्रतिनिधि से अनुरोध है कि सदन को अवगत कराएं।

सभी बैंक समस्त बीमित कृषकों का डाटा पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करें, ताकि भविष्य में फसल को होने वाली किसी भी प्रकार की क्षति की स्थिति में संबंधित कृषक को बीमा कंपनी से क्षतिपूर्ति सुगमतापूर्वक प्राप्त हो सके।

एजेण्डा संख्या - 5 : <u>ऋण-जमा अनुपात</u> :

वित्तीय वर्ष 2019-20 के प्रथम त्रैमास (जून, 2019) की समाप्ति तक ऋण-जमा अनुपात **54%** रहा है।
निम्न जिलों का ऋण-जमा अनुपात **40 प्रतिशत** से कम है : **" SLBC - 01 "**

जिला	बैंक शाखाओं की संख्या	जून, 2019
रुद्रप्रयाग	54	22%
टिहरी	134	38%
पौड़ी	197	24%
अल्मोड़ा	145	24%
बागेश्वर	51	30%
चम्पावत	58	27%

संबंधित अग्रणी जिला प्रबंधक इस विषय पर मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय ऋण-जमा अनुपात उप समिति में विभिन्न रेखीय विभागों, नाबार्ड एवं बैंकों के सहयोग से क्षेत्र विशेष की सम्भाव्यता के आधार पर ऋण वितरण की उपयुक्त कार्ययोजना बना कर उसे क्रियान्वित करवाना सुनिश्चित करें एवं सभी लम्बित आवेदन पत्रों का निस्तारण कराएं, जिससे कि वार्षिक ऋण योजना के अंतर्गत आबंटित लक्ष्यों की प्रगति के साथ-साथ ऋण-जमा अनुपात में भी अपेक्षित वृद्धि दर्ज की जा सके।

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड की 69वीं बैठक दिनांक 14 जून, 2019 में लिए गए निर्णय के अनुरुप **पौड़ी जिले** में आयुक्त गढवाल मण्डल की अध्यक्षता में जिले का ऋण-जमा अनुपात बढाये जाने हेतु विभिन्न रेखीय विभागों एंव बैंकों के साथ बैठक आयोजित की गयी थी, जिसमें आयुक्त गढ़वाल मण्डल द्वारा सभी बैंकों को कार्ययोजना बनाकर किसान क्रेडिट कार्ड जारी करना, मुद्रा ऋण प्रवाह, स्टैण्ड अप इण्डिया में ऋण एंव स्टार्ट अप इण्डिया को प्रोत्साहित करने के साथ ही कृषि विभाग, जिला पशुपालन एवं मत्स्य विभाग, जिला उद्यान विभाग एंव जिला उद्योग केंद्र के अधिकारियों / कर्मचारियों को उक्त विषयक सहयोग करने हेतु निर्देशित किया गया है।

अल्मोड़ा जिले में ऋण-जमा अनुपात बढ़ाये जाने हेतु बैठक आयोजित नहीं की जा सकी है।

एजेण्डा संख्या - 6 : <u>सरकार द्वारा प्रायोजित ऋण योजनाओं के अंतर्गत गैर- निष्पादित आस्तियों का विवरण :</u>

उत्तराखंड राज्य में कार्यरत 12 बैंकों यथा भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ओरियण्टल बैंक ऑफ कॉमर्स, नैनीताल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, केनरा बैंक, बैंक ऑफ इण्डिया, उत्तराखंड ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंक, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया एवं इलाहाबाद बैंक द्वारा प्रदत्त आँकड़ों का विवरण निम्नवत है :

(₹ In Lacs)

Sl.	Scheme	Total Outstanding		Gross NPA		GNPA %
		No.	Amt.	No.	Amt.	
1	PMEGP	5437	15067.75	1027	1755.87	11.65%
2	SCP	3103	9489.95	685	310.67	3.27%
3	VCSGY	1754	10376.88	358	2838.75	27.36%
4	NULM	2516	1496.81	498	232.59	15.54%
5	NRLM	5378	2342.44	755	497.85	21.25%
6	DIR	5695	1311.09	1088	116.15	8.86%
7	MUDRA YOJANA	96765	194697.48	10892	12451.49	6.40%
8	DEDS	6432	9053.48	1358	2145.00	23.69%
9	STAND UP INDIA	958	17416.29	39	536.52	3.08%
10	PMAY	1612	7687.30	01	10.68	0.14%
TOTAL		**129650**	**268939.47**	**16701**	**20895.56**	**7.77%**

<u>सरकारी योजनाओं के अंतर्गत गैर- निष्पादित अस्तियों के विरुद्ध ऑन-लाइन वसूली प्रमाण पत्रों की स्थिति</u>

30 जून, 2019 तक लम्बित वसूली प्रमाण पत्रों की स्थिति निम्नवत है : **"SLBC - 39A & 39B"**

(₹ करोड़ में)

	संख्या	लम्बित राशि
एक वर्ष से कम	15716	229.32
एक वर्ष से तीन वर्ष तक	17358	229.60
तीन वर्ष से पाँच वर्ष तक	5295	39.23
पाँच वर्ष से अधिक	4876	55.82
कुल लम्बित आर.सी.	43245	554.00

(₹ करोड़ में)

	वसूली प्रमाण पत्रों की संख्या	वसूल की गयी राशि
01.04.2019 से 30.06.2019 तक वसूली की स्थिति	5386	24.81

वित्तीय वर्ष 2019-20 के प्रथम त्रैमास में **5386** वसूली प्रमाण पत्रों में **₹ 24.81 करोड़** की राशि वसूल की गयी है, जो कि **4.48%** है।

एजेण्डा संख्या - 7 : <u>कौशल विकास मिशन</u> :

<u>ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (RSETI)</u> :

वित्तीय वर्ष 2019-20 के अन्तर्गत उत्तराखंड राज्य में कार्यरत 13 आरसेटी संस्थानों द्वारा **255** प्रशिक्षण कार्यक्रमों के द्वारा **6650** अभ्यर्थियों को वांछित रोजगारपरक क्रियाकलापों के लिए प्रशिक्षण प्रदान किये जाने के लक्ष्य के सापेक्ष **55** प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अंतर्गत **1395** अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित किया गया है।

स्टेट डायरेक्टर, आरसेटी संस्थान से प्रदत्त सूचना के अनुरुप आरसेटी संस्थानों द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष एवं कार्य आरम्भ करने से अब तक दिए गए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विवरण निम्नवत है :

विवरण	कुल आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संख्या	कुल प्रशिक्षित प्रशिक्षणार्थियों की संख्या	रोजगार / स्वरोजगार प्राप्त प्रशिक्षणार्थियों की संख्या	कुल प्रशिक्षणार्थियों में रोजगार / स्वरोजगार प्राप्त प्रशिक्षणार्थियों का %	बैंक द्वारा वित्तपोषित की संख्या	रोजगार %
01.04.2019-30.06.2019	55	1395	639	**46**	333	**53**
01.04.2011-31.03.2019	2039	53658	37363	**70**	17187	**48**

उत्तराखंड राज्य में आरसेटी संस्थानों द्वारा 61 प्रकार के उद्यम / रोजगार स्थापित करने की गतिविधियों हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाने अनुमोदित किए गए हैं, जिसका विस्तृत विवरण आरसेटी की वेबसाइट (www.nacer.in) पर उपलब्ध है।

ग्राम्य विकास बैंकर्स स्थायी समिति की बैठक दिनांक 09 अगस्त, 2019 में प्रमुख सचिव (ग्राम्य विकास), उत्तराखंड शासन द्वारा Common Norms Compliance के आधार पर गतिविधियों का चयन करने हेतु निर्देशित किया गया है। साथ ही अध्यक्ष महोदया द्वारा सुझाव दिया गया कि आरसेटी और **Uttarakhand Institute of Rural Development (UIRD)** संयुक्त रुप से प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान करने की व्यवस्था कर सकते हैं, क्योंकि यू.आई.आर.डी. के पास बेहतर बुनियादी सुविधाएं एवं फैकल्टी उपलब्ध है।

जून, 2019 की समाप्ति तक आरसेटी संस्थानों के बी.पी.एल. प्रशिक्षणार्थियों के प्रशिक्षण पर व्यय की गयी राशि की प्रतिपूर्ति किया जाना निम्नवत लम्बित है :

(₹ लाखों में)

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	प्रशिक्षणार्थियों की संख्या	लम्बित राशि
1	2017-18	121	4.28
2	2018-19	2045	109.83
	कुल योग	**2166**	**114.11**

आरसेटी संस्थान देहरादून, के भवन निर्माण हेतु पूर्व आबंटित / चयनित भूमि के स्थान पर नयी भूमि का आबंटन किया जाना लम्बित है।

एजेण्डा संख्या - 8 : <u>केंद्र / राज्य सरकार की नीति</u> :

(क) <u>सरकार द्वारा प्रायोजित ऋण योजनाएं</u> :

वित्तीय वर्ष 2019-20 के प्रथम त्रैमास **(जून, 2019)** की समाप्ति तक योजनावार प्रगति निम्नवत है :

(i) <u>राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन व्यक्तिगत (NULM INDIVIDUALS)</u> : " SLBC - 16 एवं 16 A "

(₹ लाखों में)

भौतिक वार्षिक लक्ष्य	प्रेषित आवेदन पत्र	स्वीकृत आवेदन पत्र	वितरित आवेदन पत्र	स्वीकृत ऋण राशि	निरस्त / वापिस आवेदन पत्र	लम्बित आवेदन पत्र
1000	130	52	29	66.82	30	48

(समाज कल्याण बैंकर्स स्थायी समिति की बैठक दिनांक 09 अगस्त, 2019 में विभाग द्वारा उपरोक्त अद्यतन आँकड़े प्रस्तुत किए गए हैं।)

(ii) <u>राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन समूह (NULM GROUPS)</u> : " SLBC - 17 (i) एवं 17 (i) a "

(₹ लाखों में)

भौतिक वार्षिक लक्ष्य	प्रेषित आवेदन पत्र	स्वीकृत आवेदन पत्र	वितरित आवेदन पत्र	वितरित ऋण राशि	निरस्त / वापिस आवेदन पत्र	लम्बित आवेदन पत्र
12	-	-	-	-	-	-

(iii) <u>राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन स्वयं सहायता समूह (NULM SHGs)</u> : **"SLBC - 17(ii) एवं 17(ii)a"**

(₹ लाखों में)

भौतिक वार्षिक लक्ष्य	प्रेषित आवेदन पत्र	स्वीकृत आवेदन पत्र	वितरित आवेदन पत्र	वितरित ऋण राशि	निरस्त / वापिस आवेदन पत्र	लम्बित आवेदन पत्र
24	06	03	03	0.85	-	03

(iv) <u>राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM)</u> : " SLBC - 18 "

(₹ लाखों में)

भौतिक वार्षिक लक्ष्य	प्राप्त आवेदन पत्र	स्वीकृत आवेदन पत्र	स्वीकृत राशि	वितरित आवेदन पत्र	वितरित ऋण राशि	निरस्त / वापिस आवेदन पत्र	लम्बित आवेदन पत्र
7610	2164	917	881.60	359	503.68	210	1037

(ग्राम्य विकास बैंकर्स स्थायी समिति की बैठक दिनांक 09 अगस्त, 2019 में विभाग द्वारा अद्यतन आँकड़े प्रस्तुत किए गए हैं।)

दिनांक 09 अगस्त, 2019 को आयोजित ग्राम्य विकास बैंकर्स स्थायी समिति की बैठक में यू.एस.आर.एल.एम. विभाग के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि पोर्टल भारत सरकार द्वारा तैयार किया गया है तथा पोर्टल के संबंध में जानकारी प्राप्त करने हेतु विभाग के कर्मचारियों / अधिकारियों द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त किया जा रहा है। साथ ही आश्वासन दिया गया कि संबंधित पोर्टल माह सितम्बर, 2019 से उपयोगार्थ उपलब्ध हो जाएगा। अध्यक्ष महोदय द्वारा विभाग को निर्देशित किया गया कि उक्त पोर्टल के संबंध में समस्त बैंक नियंत्रकों को सूचित करना सुनिश्चित करे।

(v) <u>प्रधानमंत्री रोजगार सृजन प्रोग्राम (PMEGP)</u> : **" SLBC - 7 "**

योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 के प्रथम त्रैमास (जून, 2019) की समाप्ति तक निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष बैंकों द्वारा दर्ज की गयी प्रगति निम्नवत है :

(₹ लाखों में)

वार्षिक लक्ष्य	प्राप्त आवेदन पत्र	स्वीकृत आवेदन पत्र	वितरित आवेदन पत्र	वितरित ऋण राशि	निरस्त आवेदन पत्र	लम्बित आवेदन पत्र	अनुदान वितरण का लक्ष्य	अनुदान वितरण राशि
DIC – 528	647	31	22	140	23	593	1581.29	50.70
KVIC – 395	68	12	04	32	04	52	1185.95	27.40
KVIB – 395	330	10	06	26	08	312	1185.95	22.36
Total - 1318	**1045**	**53**	**32**	**198**	**35**	**957**	**3953.19**	**100.46**

प्रधानमंत्री रोजगार सजृन कार्यक्रम के अंतर्गत अधिकांश आवेदकों द्वारा जून, 2019 के अंतिम सप्ताह में उपरोक्त योजनांतर्गत आवेदन पत्र Online submit किए गए हैं। उपरोक्त योजनांतर्गत बैंकवार लम्बित आवेदन पत्रों की सूची, उनके त्वरित निस्तारण हेतु संबंधित बैंक नियंत्रकों को राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड द्वारा उपलब्ध करा दी गयी है।

योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान राशि **₹ 39.34 करोड़** के सापेक्ष दिनांक 16 अगस्त, 2019 तक **₹ 2.82 करोड़** का अनुदान वितरण किया गया है।

(v) <u>वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना</u> : **" SLBC - 9 "**

पर्यटन विभाग से अनुरोध है कि वीर चन्द्र सिंह गढवाली पर्यटन स्वरोजगार योजना के आवेदन पत्रों के ऑन-लाइन प्रेषण एवं मॉनिटरिंग हेतु सॉफ्टवेयर बनाने विषयक हुई प्रगति से सदन को अवगत कराएं।

बैंकों द्वारा दर्ज की गयी प्रगति निम्नवत है : **(₹ लाखों में)**

वार्षिक लक्ष्य	प्राप्त आवेदन पत्र	स्वीकृत आवेदन पत्र	वितरित आवेदन पत्र	वितरित ऋण राशि	निरस्त / वापिस आवेदन पत्र	लम्बित आवेदन पत्र
वाहन - 147	24	12	07	80.67	04	08
गैर-वाहन - 153	47	13	07	182.36	14	20
कुल योग - 300	**71**	**25**	**14**	**263.03**	**18**	**28**

(अवस्थापना विकास बैंकर्स स्थायी समिति की बैठक दिनांक 14 अगस्त, 2019 में विभाग द्वारा उपरोक्त अद्यतन आँकड़े प्रस्तुत किए गए हैं, जिसमें से कुछ आवेदन पत्र उक्त तिथि में In transit थे।)

वीर चन्द्र सिंह गढवाली पर्यटन स्वरोजगार योजनांतर्गत गैर-वाहन मद में शामिल की गयी सभी नयी गतिविधियों विषयक शासनादेश संख्या **VI(1)/2018-19**(पर्यटन)/2001 दिनांक 27 नवम्बर, 2018 की छायाप्रति सभी बैंकों को प्रेषित कर दी गयी है।

(vi) <u>दीन दयाल उपाध्याय गृह आवास (होम स्टे) विकास योजना (पर्यटन विभाग)</u> : " SLBC - 11 "

योजनांतर्गत 30 जून, 2019 तक की प्रगति निम्नवत है :

(₹ लाखों में)

प्राप्त आवेदन पत्र	स्वीकृत आवेदन पत्र	वितरित आवेदन पत्र	वितरित ऋण राशि	निरस्त / वापिस आवेदन पत्र	लम्बित आवेदन पत्र
94	18	05	101	42	34

दीन दयाल उपाध्याय गृह आवास (होम स्टे) विकास योजना (संशोधित) अधिसूचना के क्रम संख्या - 5 में दर्शित 4(3) नियम 4 के संशोधन, जिसमें वर्णित है कि गृह आवास / होम स्टे स्थापित किए जाने हेतु बैंक ऋण आवेदन की दशा में भू-उपयोग परिवर्तन किए जाने की आवश्यकता होगी। चूँकि इस योजना में नये भवन निर्माण / आंशिक पुनर्निर्माण / मरम्मत एवं साज-सज्जा आदि के लिए भी ऋण का प्रावधान किया गया है। अत: कई प्रकरणों में कदाचित भू उपयोग परिवर्तन की आवश्यकता नहीं होगी। इस स्थिति के अंतर्गत बैंक नियंत्रकों द्वारा स्पष्ट निर्देशों की अपेक्षा की गयी थी, जिसके संदर्भ में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड द्वारा पत्र संख्या प्रशा.का./एस.एल.बी.सी./13, दिनांक 08 अप्रैल 2019 एवं प्रशा.का./एस.एल.बी.सी./270, दिनांक 24 जुलाई, 2019 द्वारा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद को होम स्टे विकास योजना (प्रथम संशोधन) नियमावली 2018 में निर्देश स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया है। चूँकि इस योजना में बैंकों द्वारा ऋण स्वीकृत / वितरण का कार्य प्रक्रियाधीन है, अत: उपरोक्त बिंदुओं पर शीघ्र दिशानिर्देश / स्पष्टीकरण प्रदान कर दिए जाने पर योजनांतर्गत लक्ष्यों की प्राप्ति पर त्वरित कार्यवाही व्यवहार्य होगी।

(vii) <u>प्रधानमंत्री आवास योजना - (Credit Link Subsidy Scheme)</u> : " SLBC - 48 "

(₹ लाखों में)

लक्ष्य	बैंक शाखाओं द्वारा स्वयं source किए गए ऋण आवेदन पत्र / शाखा स्तर पर स्वीकृत		विभाग द्वारा प्रेषित आवेदन पत्र					सकल स्वीकृत	
			प्राप्त	स्वीकृत		निरस्त / वापिस	लम्बित		
संख्या	संख्या	राशि	संख्या	संख्या	राशि	संख्या	संख्या	संख्या	राशि
4000	267	3191.16	42	27	222	03	12	**294**	**3413.16**

(समाज कल्याण बैंकर्स स्थायी समिति की बैठक दिनांक 09 अगस्त, 2019 में विभाग द्वारा उपरोक्त अद्यतन आँकड़े प्रस्तुत किए गए हैं।)

सचिव (शहरी विकास), उत्तराखंड शासन की अध्यक्षता में दिनांक 23 जुलाई, 2019 को आहूत बैठक, जो कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के Credit Link Subsidy Scheme घटक के संबंध में आयोजित बैठक, जिसमें सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड तथा बैंकों द्वारा प्रतिभाग किया गया था। बैठक में

सभी बैंकों से अपेक्षा की गयी है कि मिशन अवधि के दौरान स्वीकृत आवास ऋणों में पात्रता धारित करने वाले प्रकरणों को संबधित ऋणी द्वारा औपचारिकताएं पूरी करने पर प्रधानमंत्री आवास योजना से आच्छादित किया जाए।

उपरोक्त संदर्भ में शहरी विकास निदेशालय, उत्तराखंड शासन द्वारा नगर आयुक्त, समस्त नगर निगम उत्तराखंड एवं अधिशासी अधिकारी, समस्त नगरपालिका परिषद / नगर पंचायत उत्तराखंड को पत्र संख्या 1808/34/सीएलएसएस/एचएफए/2016-टी.सी. दिनांक 01 अगस्त, 2019 प्रेषित किया गया है, जोकि पूर्व में सभी बैंक नियंत्रकों को उपलब्ध करा दिया गया है। दिनांक 09 अगस्त, 2019 को समाज कल्याण बैंकर्स स्थायी समिति की बैठक में अध्यक्ष महोदय, अपर सचिव (समाज कल्याण), उत्तराखंड शासन द्वारा सभी बैंकों को निर्देशित किया गया है कि वे उक्त पत्र में दिए गए दिशानिर्देशानुसार बैंक अपने वर्तमान स्वीकृत गृह आवास ऋण के ऋणियों को प्रधानमंत्री आवास योजना के दायरे में लाने के पुन: प्रयास करते हुए लाभान्वित करें।

शहरी विकास निदेशालय उत्तराखंड द्वारा उत्तराखंड में कार्यरत **12 बैंकिंग हाऊसिंग कंपनियों द्वारा 1129 ऋणों** का वितरण किया जाना सूचित किया गया है।

प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत संबंधित नोडल एजेन्सियों द्वारा किए गए ऋणों पर अनुदान राशि का भुगतान करने का विवरण निम्नवत है : **(₹ लाखों में)**

नोडल एजेन्सी	स्वीकृत ऋण आवेदन पत्र	वितरित ऋण राशि	वितरित अनुदान राशि
एन.एच.बी.	743	11040.80	1909.00
हुडको	89	1237.91	85.08
योग	**832**	**12278.71**	**1994.80**

(viii) <u>स्टैण्ड अप इण्डिया</u> : **" SLBC - 44 "**

इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक बैंक शाखा हेतु कम से कम एक महिला एवं एक अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्ति को स्वयं का उद्यम स्थापित करने हेतु **न्यूनतम** ₹ **10 लाख से अधिकतम** ₹ **100 लाख** तक के ऋण उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है। उपरोक्त के संदर्भ में सदन को अवगत कराना है कि राज्य सहकारी बैंक लि. की **289** बैंक शाखाएं अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक श्रेणी में न होने के कारण स्टैण्ड अप इण्डिया में वित्तपोषण करने हेतु अधिकृत नहीं हैं तथा राज्य में **1131** ग्रामीण शाखाएं कार्यरत हैं, जिसमें से अधिकांश दूरस्थ पहाड़ी क्षेत्रों में स्थित हैं, जहाँ पर **₹ 10 लाख** से **₹ 1 करोड़** राशि के ऋण / औद्योगिक गतिविधियों की मांग नगण्य होने के कारण अपेक्षित प्रगति नहीं हो पा रही है। उपरोक्त स्थिति में संभाव्यता के आधार पर शहरी एवं अर्धशहरी **1091** शाखाएं ही ऋण वितरण करने में सक्षम हैं।

वित्तीय वर्ष 2019-20 के प्रथम त्रैमास (जून, 2019) की समाप्ति तक बैंकों द्वारा योजनांतर्गत निम्नवत प्रगति दर्ज की गयी हैं : **(₹ करोड़ में)**

मद	लक्ष्य	वित्तीय वर्ष 2019-20 30 जून, 2019 तक की प्रगति			योजना के आरम्भ (05.04.2016) से वर्तमान त्रैमास तक की प्रगति	
		आवेदन प्राप्त	आवेदन स्वीकृत	स्वीकृत राशि	कुल ऋण वितरित आवेदन	कुल वितरित ऋण राशि
महिला	1091	49	49	10.15	1236	276.15
अनुसूचित जाति / जनजाति	1091	22	22	4.59	283	53.84
योग	**2182**	**71**	**71**	**14.74**	**1519**	**329.99**

(ix) <u>प्रधानमंत्री मुद्रा (MUDRA) ऋण योजना</u> : **" SLBC - 28 "**

वित्तीय वर्ष **2019-20** के प्रथम त्रैमास (जून, 2019) की समाप्ति तक प्रधानमंत्री मुद्रा योजनांतर्गत **30177** लाभार्थियों को **₹ 404.44 करोड़** के ऋण स्वीकृत किए गए हैं तथा अनुमानत: **42,595** व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त हुआ है। प्रगति का विवरण निम्नवत है :

(₹ करोड़ में)

योजना	ऋण राशि सीमा	जून, 2018		जून, 2019	
		वितरित ऋण संख्या	स्वीकृत ऋण राशि	वितरित ऋण संख्या	स्वीकृत ऋण राशि
शिशु	₹ 50000 तक के ऋण (ओवरड्राफ्ट राशि सम्मिलित)	15402	44.92	19818	52.83
किशोर	₹ 50,001 से ₹ 5 लाख	7539	176.42	8300	181.65
तरूण	₹ 5 लाख से ₹ 10 लाख	1878	152.74	2059	169.96
कुल संख्या एवं ऋण राशि		**24819**	**374.08**	**30177**	**404.44**

(x) <u>स्पेशल कम्पोनेंट प्लान</u> : **" SLBC - 15 "**

महाप्रबंधक, उत्तराखंड बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम द्वारा सूचित किया गया है कि निगम के माध्यम से संचालित स्वरोजगार योजना के अंतर्गत बैंकों को प्रेषित, स्वीकृत, लम्बित आवेदन पत्रों की निगरानी हेतु पोर्टल तैयार किया जा चुका है तथा सभी जिला समाज कल्याण अधिकारियों को पोर्टल के माध्यम से आवेदन पत्र अंकित करने हेतु निर्देश दिए जा चुके हैं। इस संबंध में विभाग को निर्देशित किया गया है कि पोर्टल का पासवर्ड राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड तथा समस्त बैंक नियंत्रकों को उपलब्ध कराएं, जिससे योजनांतर्गत ऋण आवेदन पत्रों की प्राप्ति की निगरानी संभव हो सके।

वर्तमान वित्तीय वर्ष 2019-20 के प्रथम त्रैमास में योजनांतर्गत बैंकों द्वारा दर्ज की गयी प्रगति का विवरण निम्नवत है :

(₹ लाखों में)

योजना	वार्षिक लक्ष्य	प्रेषित / प्राप्त आवेदन	स्वीकृत आवेदन	वितरित आवेदन	बैंक ऋण राशि	निरस्त / वापिस आवेदन पत्र	लम्कित आवेदन पत्र
अनुसूचित जाति	1459	**166**	**98**	**70**	62.80	06	62
अनुसूचित जनजाति	100	43	40	40	24.15	03	00
अल्पसंख्यक समुदाय	225	**09**	**09**	**09**	23.00	**00**	**00**
कुल	**1784**	**218**	**147**	**119**	**109.95**	**09**	**62**

(समाज कल्याण बैंकर्स स्थायी समिति की बैठक दिनांक 09 अगस्त, 2019 में विभाग द्वारा उपरोक्त अद्यतन आँकड़े प्रस्तुत किए गए हैं।)

समाज कल्याण बैंकर्स स्थायी समिति की बैठक में विभाग के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि योजनांगत कम अनुदान होने के कारण जनसाधारण द्वारा प्राय: ऋण लेने हेतु आवेदन नहीं किया जा रहा है। इस संबंध में अनुदान वृद्धि हेतु भारत सरकार से पत्राचार किया जा रहा है।

(ख) उद्योग नीति, एम.एस.एम.ई., कृषि नीति में समय-समय पर होने वाले परिवर्तन / संशोधनों के संदर्भ में सदन को अवगत कराने का अनुरोध करते हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक के पत्र संख्या FIDD.CO.FLC.2200/05.04.01/2018-19 दिनांक 11 अप्रैल, 2019, Interest Subvention Scheme - Monitoring of end use of crop loans में दिए गए निर्देशों का अनुपालन सभी बैंकों द्वारा सुनिश्चित किया जाए।

(ग) <u>प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत अल्पसंख्यक समुदाय को ऋण वितरण की प्रगति समीक्षा :</u>

वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार अल्पसंख्यक समुदाय को किए जाने वाले ऋण की प्रगति वर्तमान वित्तीय वर्ष 2019-20 के प्रथम त्रैमास में निम्नवत है :

(**₹ In Crore**)

Christians (1)		**Muslims (2)**		**Sikhs (3)**		**Others (4)**		**Total Advances (1+2+3+4)**	
A/cs	Amt.	A/cs	Amt.	A/cs	Amt.	A/cs	Amt.	A/cs	Amt.
81	3.78	2012	72.60	1971	93.31	1213	136.14	**5277**	**305.83**

एजेण्डा संख्या - 9 :

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य किसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा।

****